112

राजस्व मंडल

न्यायालय अपर कलेक्टर जबलपुर,म.प्र.

II

क्रमांक 2731/प्रवा.अ.कले./04 जबलपुर दि. 18.3.04
19/3/04

प्रति,

राजस्व मंडल,
(मोतीमहल) ग्वालियर
म.प्र.।

राजि.डाक 4/3/05

निगरानी 292-II/2005

विषय:- इस न्यायालय के प्र.क्र.15बी/121/2002-B3 में पुनर्विलोकन में लेने के लिए अनुमति प्राप्त करने के संबंध में ।

-

आवेदक मरियम बी बेवा सकूल निवासी गढा गंगासागर जबलपुर विरुद्ध नंदी लाल बंगाली निवासी गढा गंगासागर जबलपुर द्वारा इस न्यायालय के प्र.क्र.15बी/121/2002 में पारित आदेश दिनांक 13.12.2002 के संबंध में मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित आदेश के संबंध में पुनर्विलोकन आवेदन प्रस्तुत किया है । आवेदक द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण में सुनवाई किये जाने के लिए इस न्यायालय का मूल प्रकरण पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर भेजकर अनुरोध है कि प्रकरण में पुनर्विलोकन कर सुनवाई किये जाने अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

EF849022207IN
4-3-05

संलग्न:- मूल प्रकरण क्र.
15बी/121/02-03

अतिरिक्त कलेक्टर
अपर कलेक्टर
जबलपुर ।

क्रमांक EF849022207IN
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक 4-3-05 को प्राप्त
4/3/05
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पृ.क्र. /प्रवा.अ.कले./04 जबलपुर दि.

प्रतिलिपि:- तहसीलदार नजूल/आवेदिका मरियम बी गढा गंगासागर जबलपुर की ओर सूचनार्थ।

अतिरिक्त कलेक्टर
अपर कलेक्टर
जबलपुर।

राजस्व मण्डल
आ.क्र. 418
दिनांक 4-3-05

म०प्र० शासन द्वारा अपर कलेक्टर / प्रतिपक्ष की

112

Xxxix(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 292 –दो / 2005 विविध

जिला जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि.के हस्ता.
17-2-16	अपर कलेक्टर जबलपुर व्दारा प्रकरण क्रमांक 15 बी–121/ 2002–03 में पारित आदेश दिनांक 13–12–2002 के पुनरावलोकन किये जाने हेतु अनुमति वावत् प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अनावेदक को सुनवाई हेतु रजिस्टर्ड पोस्ट से भी सूचना भेजी गई, परन्तु वह अनुपस्थित रहे हैं। अतः उनके विरूद्ध एकपक्षीय किया गया। 2/ म0प्र0शासन के पैनल लायर ने बताया कि तत्का.अपर कलेक्टर जबलपुर के समक्ष मुस. मरियम बी वेवा अब्दुल शकूर ने अपील क्रमांक 15 वी 121/01–02 प्रस्तुत कर बताया कि उन्हें वास स्थान दखलकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त पटटे के भूखंड पर बनाया मकान नंदीलाल बंगाली को कुछ दिनों को रहने हेतु दिया था किन्तु उनके पटटे की भूमि पर बने मकान वाली भूमि का पटटा नंदीलाल ने अपने नाम करवा लिया है जिसे निरस्त करने की विधवा महिला ने मांग की, किन्तु अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 13–12–2002 से वह न्याय पाने से बंचित रह गई है। उन्होंने पुनरावलोकन अनुमति दिये जाने की मांग की। 3/ अपर कलेक्टर जबलपुर व्दारा प्रकरण क्रमांक	

15 बी–121/ 2002–03 में पारित आदेश दिनांक 13–12–2002 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि इस आदेश व्दारा अधिनियम 1984 में अपील का प्रावधान न होने से अपील निरस्त की है परिलक्षित है कि तत्का. अपर कलेक्टर ने गुणदोष पर किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया है, अपितु अधिवक्ता की त्रृटि महज होने से एक विधवा महिला को न्याय पाने से बंचित कर दिया है जबकि अपर कलेक्टर अपील को पुनरीक्षण में बदल कर सुनवाई कर सकते थे जिसके कारण अपर कलेक्टर जबलपुर ने पुनरावलोकन अनुमति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसे स्वीकार करने में किसी प्रकार की अड़चन नहीं है। अतः तत्का. अपर कलेक्टर जबलपुर व्दारा प्रकरण कमांक 15 बी–121/ 2002–03 में पारित आदेश दिनांक 13–12–2002 के पुनरावलोकन की अनुमति प्रदान की जाती है।

सदस्य